

- 1- रामसुजान चमार पिता कमला चमार
- 2- कमला चमार पिता स्व०श्री सहदेउना चमार
- 3- बडकू चमार पिता स्व०श्री सहदेउना चमार
- 4- छोटकू चमार तनय स्व०सहदेउना चमार सभी निवासी ग्राम भैंसवार थाना कोठी तह० रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....
.....निगराकारान/अना०गण

विरुद्ध

प्रेमलाल चमार पिता स्व०श्री सहदेउना चमार उम्र 65वर्ष निवासी ग्राम भैंसवार थाना कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....
.....गैरनिगराकार/आवेदक

निगरानी आदेश दिनांक 06.06.18
प्रकरण क०-35अ70/16-17 प्रेमलाल
विरुद्ध कमला वगैरह न्यायालय श्रीमान
नायब तहसीलदार वृत्त कोठी जिला
सतना म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का०मा०

अधि० श्री कोशला शर्मा सि०
उपस्थित 104-7-18

रामसुजान चमार
नायब तहसीलदार
कोठी जिला सतना म०प्र०

मान्यवर,

निगराकारान की ओर सविनय निम्न आधारों पर निगरानी की याचिका प्रस्तुत की जाती है:-

संक्षिप्त तथ्य



- 1- यह कि आवेदक/गैरनिगराकार द्वारा मौजा भैंसवार तहसील रघुराजनगर जिला सतना की आराजी नं०-780/2 रकबा 0.036हे० पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4076/2018/सतना/भूरा

रामसुजानबनाम प्रेमलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-07-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री कैशलेन्द्र सिंह द्वारा कायमी के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो </p> <p></p> <p> सदस्य</p>	